

## सरकार ने पूंजीगत लाभ कर संबंधी नयिमों को सरल किया

### संदर्भ

गौरतलब है कि वैसी स्थिति में जब शेयरों की खरीद के समय सुरक्षा लेनदेन कर (securities transaction tax - STT) का भुगतान नहीं किया जाता है, वास्तविक लेनदेन करत्ताओं को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 में प्रस्तावित पूंजी लाभ कर संबंधी प्रावधानों को इस क्षेत्र के दायरे से बाहर रखने का नरिणय किया है।

### नरिणय के कुछ प्रमुख बदि

- ध्यातव्य है कि उक्त सन्दर्भ में सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes - CBDT) द्वारा तीन परदृश्यों के वषिय में प्रस्ताव पेश किया गया था। जनिके माध्यम से पूंजीगत लाभ कर को अधरिपति करने के साथ-साथ दूसरे अन्य लेनदेनों को इस दायरे से बाहर रखने संबंधी प्रस्तावों को शामिल किया गया।
- स्पष्ट है कि सीबीडीटी द्वारा पेश किये गए इन प्रस्तावों के अंतर्गत सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रशसनीय बात यह रही कि इनमें न्यूनतम लाभ के लिये पूंजी लाभ कर को न्यूनतम स्तर पर रखा गया। वस्तुतः जसिका परिणाम यह होगा कि सीबीडीटी का नरिणय नविशकों को राहत पहुँचाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में नविश करने के उनके फंसले के संबंध में किसी भी प्रकार के डर को दूर करने का काम करेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस नरिणय के संदर्भ में सरकार की मंशा अधोषति बेहिसाब आय को नकली लेनदेन के रूप में दर्शा कर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के रूप में छूट प्राप्त करने वाले पर नकेल कसना अर्थात् उनके संबंध में कार्यवाही करना है।

### उक्त तीनों परदृश्यों

- नरिणय में वर्णित पूंजीगत लाभ कर को आकर्षित करने वाले उक्त तीनों परदृश्य हैं-

(अ). अधभार आवंटन (Preferential Allotment) के माध्यम से उन सूचीबद्ध शेयरों का अधग्रहण, जो शेयर एक्सचेंजों में नयिमति रूप से कारोबार नहीं करते हैं।

(ब) . जहाँ एक्सचेंज के मंच पर सूचीबद्ध शेयरों की खरीद नहीं की जाती है।

(स). किसी भी कंपनी के सूची से हटाए जाने तथा पुनः सूचीबद्ध करने से पूर्व शेयरों का अधग्रहण करना।

- ध्यातव्य है कि कुछ समय पहले ही वित्त अधिनियम 2017 में, कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए हैं। इन संशोधनों में, लेनदेन के संबंध में प्रदत्त छूट की अनुमति का दुरुपयोग होने से बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह संशोधन किया गया कि यदि शेयरों के अधग्रहण के समय एसटीटी का भुगतान किया जाता है तो सीबीडीटी को इस वषिय में कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- हालाँकि इस संशोधन से वास्तविक लेनदेन के संबंध में कुछ राहत अवश्य प्राप्त हुई है तथापि इस संबंध में इन नयिमों को अभी ओर भी सख्त करने की आवश्यकता है।